


CIRCULAR/NOTIFICATION Type: INTERNAL (Internal/External)CIRCULAR/NOTIFICATION No.: HAC - INT - CIR / 16 / 029 / 01 (Eg. HAC-INT-CIR/09/001/01)Authority by whom Issued: HAC-CEO (HAC-CEO)Sign of issuing Authority: 

विषय: कठियार, पूर्णिया, मधेपुरा, किशनगंज, सहरसा, भागलपुर एवं अन्य जिलों (अररिया/सुपौल जिले को छोड़) के डीलरों के लिए स्पेशल रिबेट के सम्बन्ध में!

उपरोक्त विषयक निदेशानुसार कहना है कि दिनांक 01/04/2016 से कठियार, पूर्णिया, मधेपुरा, किशनगंज, सहरसा, भागलपुर एवं अन्य जिलों (अररिया/सुपौल जिले को छोड़) के सभी डीलरों को निम्नांकित लाभ दिया जाएगा:

1. वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के अनुसार हमारे विभिन्न उर्वरकों के ब्रांड का अधिसूचित रेट पर माल कि डेलिवरी FOR होगी!
2. वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के अनुसार महीने के अंत में सभी उर्वरकों के ब्रांड पर रु० 10 प्रति बोरे का ऑवर-राईडिंग दिया जाएगा!
3. कॉन्सम महाशक्तिशाली खाद कि बिक्री पर उपरोक्त रु० 10 के अतिरिक्त रु० 90 प्रति बोरे का अतिरिक्त ऑवर-राईडिंग दिया जाएगा अर्थात इस संबंध में अन्य सभी अधिसूचनाओं/निदेशों/सर्कुलरों के विरुद्ध उक्त माल के प्रति बोरा सेल पर उपरोक्त वर्णित जिले के पार्टियों को कुल रु० 100 कि ऑवर-राईडिंग दी जाएगी!

सधन्यवाद!

